न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **2015/20** दायर दिनांक **17.03.2015**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मीठूलाल पुत्र मूलाराम 2. रतनी पुत्री मूलाराम 3. ताजू पुत्री मूलाराम 4. खेती पुत्री मूलाराम समस्त जाति बावरी निवासी निम्बी खुर्द तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मूलाराम पुत्र रामदीन 2. भोलूराम पुत्र मूलाराम समस्त जाति बावरी निवासीगण निम्बी खुर्द 3. भंवरी पुत्री मूलाराम पत्नी रामदेव जाति बावरी निवासी निम्बी खुर्द हाल निवासी खुनखुना 4. लालूराम पुत्र किशनाराम जाति बावरी निवासी निम्बी खुर्द 5. श्रीमती झमकुदेवी पत्नी भागीरथराम जाति मेघवाल निवासी निम्बी खुर्द 6. तहसीलदार डीडवाना 7. उप पंजीयक डीडवाना 8. पटवारी हल्का निम्बी कंला

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थित–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **19.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादीगण आपस में सगे भाई बहिन है प्रतिवादी सं0 01 इनका पिता है प्रतिवादी सं0 02 वादीगण का भाई व प्रतिवादी सं0 03 वादीगण की बहिन है तथा प्रतिवादी सं0 04 वादीगण के कुटुम्ब का सदस्य है जिनका हिन्दु परिवार रहा है तथा स्व0 जोराराम के वारिस उत्तराधिकारी है। वाके सरहद निम्बी खुर्द के खसरा सं0 179 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 200 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 201 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 205 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 277 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 34 बीघा 07 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की अविभाजित भूमिया है। उपरोक्त खसरा में 1/2 भाग का हकदार प्रतिवादी सं0 04 लालूराम है तथा शेष 1/2 भाग के हकदार वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 03 है और उक्त 1/2 हिस्से में वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 03 प्रत्येक का बहिस्सा बराबर 1/7, 1/7 हिस्सा निहित है। उपरोक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी सं0 01 द्वारा प्रतिवादी सं0 05 झमकु के हक में एक बेचाननामा खसरा नं0 179 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 205 रकबा 01

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2015/20
दायर दिनांक 17.03.2015, निर्णय दिनांक 19.06.2017
मीठूलाल बनाम मूलाराम वगैरा।

बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा के 1/2 भाग की भूमि का बेचान कर दिया। जिसकी कोई जानकारी वादीगण को नही होने दी।

प्रार्थना वादीगण है कि पुश्तेनी भूमि हाल खसरा सं0 179 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 200 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 201 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 205 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 277 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 34 बीघा 07 बिस्वा वाके सरहद निम्बी खुर्द वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी के घोषित की जाकर बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर 1/2 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 से 03 का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 04 के बंट का घोषित किया जावें और प्रतिवादी सं0 01 से 03 के उक्त 1/2 हिस्से में वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 से 03 प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा बंट कब्जा काश्त खातेदारी का घोषित किया जावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प निम्बी कंला में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है। प्रतिवादी सं0 01द्वारा प्रतिवादी सं0 05 झमकु के हक में एक बेचाननामा खसरा नं0 179 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 205 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा के 1/2 भाग की भूमि का बेचान कर दिया जिससे प्रतिवादी सं0 05 झमकु भी उक्त खसरे में सह खातेदार है।

अतः बाद विवचेन, वाद वादीगण, स्वीकार किया जाकर डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद निम्बी खुर्द के खसरा सं0 179 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 200 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 201 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 205 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 277 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 34 बीघा 07 बिस्वा में 1/2 की खातेदारी प्रतिवादी सं0 04 के तथा खसरा नं0 179 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 205 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा के 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादी सं0 05 झमकु के तथा खसरा सं0 200 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 201 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 277 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा के 1/2 भाग की खातेदारी वादीगण सं0 01 ता 04 व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 के घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **19.06.2017** को कोर्ट कैम्प–निम्बी कंला में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दम इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2015/20 दायर दिनांक 17.03.2015

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मीठूलाल पुत्र मूलाराम वगैराह जाति बावरी निवासी निम्बी खुर्द तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।	बनाम्	1. मूलाराम पुत्र रामदीन वगैराह जाति बावरी निवासी निम्बी खुर्द तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक 19.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद निम्बी खुर्द के खसरा सं0 179 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 200 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 201 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 205 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 277 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 34 बीघा 07 बिस्वा में 1/2 की खातेदारी प्रतिवादी सं0 04 के तथा खसरा नं0 179 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 205 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा के 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादी सं0 05 झमकु के तथा खसरा सं0 200 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 201 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 277 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा के 1/2 भाग की खातेदारी वादीगण सं0 01 ता 04 व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 के घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट निम्बी कंला में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner